

प्रेषक,

श्री अशोक मांगुनी,
 उप सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
 शिक्षा केन्द्र, 2 समुदाय केन्द्र,
 जीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संलग्नक: दिनांक: 3 दिसम्बर, 1993

विषय:- श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल बिन्दाय, देहरादून को सी०बी०सी०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनुरोधित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल बिन्दाय देहरादून को सी०बी०सी०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आधारीत नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का तत्काल समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाधित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केवले शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/जीति विहार नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

- 5- संस्था केवले एवं शिक्षिततर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

PRINCIPAL

Sri Guru Ram Rai Public School
 Bindal, Dehra Dun-248001

6- कमिश्नरियों की सेवा शीघ्र बनायी जायेगी और उन्हें तलायता प्राप्त ज्ञातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कमिश्नरियों की अनुमत्य सेवा नियुक्ति का नाम उपमन्त्र कराये जायेगा ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्यत किये जा सकेंगे उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड नियमित रूप से/पंजीकृतों में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन, संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये विद्यालय में 10वीं 10वीं तीस माह के भीतर नाम करके सतत को उपगत कराया जाये । तथा विद्यालय में उक्त प्रधानाचार्य की तत्काल नियुक्ति की जाये ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और किता समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

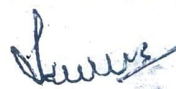
अशोक मांगनी।
उप निदेश ।

पुणे 5320111/15-7-1993 तद्विनिर्देश
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यस्थ उप शिक्षा निदेशक वीड़ी बड़वाल ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, देहरादून ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल, बिन्दाल, देहरादून ।

आज्ञा है,



अशोक मांगनी।
उप निदेश ।

PRINCIPAL

Sri Guru Ram Rai Public School
Bindal, Dehra Dun-248002

=====

✓ Rawat
Authorized Signatory
Manager
S.G.R.R. Public School
Bindal, Dehra Dun